

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प- जाना

**आदेश**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीमान व भू.अ.नि. 1

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 1 / नायब तहसीलदार श्रीमान की अनुशंसा

के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खानवा

तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर की जमाबन्दी संवत् 2088-71 में खाता संख्या 94

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
2	खानवा	94	मान लि. 51 देतो लि.	मान लि. 51 शेष गुलबंदी, जमाना

(जगदीश प्रसाद गौड़)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

क्रमांक- 218/51 कैम्प जाना 2088-71

दिनांक- 08/11/85

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाई।
2. प्रार्थी श्री श्रीमान को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़